

HO: FINANCE DIVISION, SHARE DEPARTMENT, 5, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001
Tel Nos : 011-23708257 Fax No : 011-23766079, E-mail : hosd@pnb.co.in

01.08.2016

Script Code : PNB The Dy. General Manager National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	Script Code : 532461 The Dy. General Manager BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001
--	---

Dear Sirs,

Re: Press Clippings of Notice of Extra Ordinary General Meeting (EGM)

Please refer to our letter dated 28.07.2016 informing decision of Board to hold the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders on 31.08.2016 for approval of issuance and allotment of equity shares on preferential basis to Govt Of India to the tune of Rs. 2,112 Crores, subject to applicable regulatory provisions.

Abridged notice of said EGM was published in Financial Express (English) on dated 31.07.2016 & Jansatta (hindi) on 31.07.2016.

A copy of both published clippings is enclosed herewith.

Please take the above on your record.
Thanking you.

Yours sincerely,



(A Gopinathan)
Company Secretary





Head Office : 7, Bikhajji Cama Place, New Delhi - 110 607
(Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Wednesday, the 31st August, 2016 at 10.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following Special business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

RESOLUTIONS:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot 16,40,77,066 Equity Shares of face value of ₹72/- each to GOI on preferential basis at a premium of ₹126.72 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, up to an amount of ₹ 2112 crore.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 29.07.2016, being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank *par passu* in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Sd/-

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 30.07.2016

NOTES:

1. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 24.08.2016.
2. Detailed notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are being dispatched/emailed to shareholders and are also available for downloading from the website of the Bank viz, www.pnbIndia.in (Investors' Info Page).
3. A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank addressed to the Company Secretary, Share Department, Finance

FINANCIAL EXPRESS

31-7-2016



Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Friday the 26th August, 2016. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.

4. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS** - Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing agreement with Stock Exchanges, and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is providing facility to shareholders to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the EGM by electronic means through e-voting platform provided by the National Securities Depository Limited (NSDL). The members may cast their votes using an electronic system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting')

5. **VOTING RIGHTS**

- I. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, as amended, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- II. As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
- III. Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. 24.08.2016 shall have one vote for each share held by him/her.

FINANCIAL EXPRESS
31-07-2016





प्र.का. 7, भीखाएजी मार्ग प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँडक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सूचना, दिनांक 31 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टॉक कॉलेज, अ इंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा-

1 अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर सहमति सहित या साक्ष्य के बिना विशेष संकल्प के रूप में पंक्ति करना

'संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (संकल्प एवं विधि प्रावधान) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'बैंक' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँडक) विनियमन, 2000 (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) के साथ पठित अधिनियम के अन्तर्गत (उपरोक्तों का अर्थ एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'अधिनियम' कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस सम्बन्ध में उपस्थित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किसी शर्त, निष्कर्षों और साक्ष्यों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूरी निर्णय और प्रकटन अधिनियम) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी सम्बद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन शर्तों एकसूत्रीयता में बैंक को इक्विटी शेयर सुचीबद्ध है, उनके सुधारण करणों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'निदेशक मंडल' कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई शक्ति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उचित की गई हो व शक्ति की जगह हो) प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रु. 126.72/- प्रति शेयर नकदी प्रीमियम पर सेबी आईसीडीआर विनियम सं0 76(1) के अनुसरण में अतिरिक्त मूल्य प्रत्येक रु0 2/- के 16,40,77,000 इक्विटी शेयर के कुल रु. 2132/- करोड़ तक के शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर सुचित, ऑफर, जारी एवं आवंटन करने हेतु।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) के अनुसार अधिमूल्य ड्रप के लिए समय-समय पर संशोधन किया जाता है, उपरोक्त पंक्ति इक्विटी शेयर के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए संवत् विधि 29.07.2016 जो कि अस्तित्व में आने के बाद की तिथि से 30 दिन पूर्व की है।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, अंतर्गत तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सुचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहां बैंक के शेयर सुचीबद्ध हैं, उस स्थिति परमपंत अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अधिस्तित अथवा अन्य प्रावधानों के संशोधनों को स्वीकार करें।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले एवं आवंटित किए जाने वाले एक इक्विटी शेयर अनमूल रूप में जारी किए जायेंगे एवं 'सेबी आईसीडीआर विनियमन' के अनुभाग VII के अंतर्गत अचक्रवृत्त अर्थात् की अपेक्षाओं के अधीन होने तथा ऐसी घोषणा के समय प्रकृत सांख्यिक मार्गनिर्देश के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (साभाल सहित यदि घोषित हो), सभी इच्छितों से समान माने जायेंगे।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि एस सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझे जिनमें किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और फिलेखों को अंतिम रूप में और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं उचित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा उचित यह प्राधिकार है कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकृत रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकारी दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक को प्रकृत निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यह उचित समझे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता./-


(उपरोक्त सूत्रसंज्ञक)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.07.2016

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

- एजेन्डा मदों के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों को अपना निर्धारित करने के लिए कटऑफ 24.08.2016 निर्धारित की है।
- उपरोक्त बैठक के अल्प-अल्प नोटिस जिनमें अन्य मदों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी यंत्रों तथा उपस्थिति पत्रों या प्रवेश पत्र आदि होने वाले बैंक के वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से आउनलाइन भी किया जा सकता है।
- बैंडक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए शेयरधारक अपना बदले किसी प्रॉक्सी को बैंडक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पर प्रभावी करने के लिए उसे कम्पनी सहित शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग,



नई दिल्ली 110001 में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार 26 अगस्त, 2010 की समाप्ति अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा कर दी जाए। इस तरह से नियुक्त प्राकृती को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा किन्तु वह वाटर की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान— शेबी (सूचीकरण अपेक्षायी एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) के विनियमन 2015 के विनियम 44, उदात्क एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार एवं और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 के प्राक्तानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय सक्तलों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करवाए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं।

5. वोटिंग अधिकार

- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों को 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
- विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्ट्रार में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।
- उपर्युक्त के अन्वयेण, ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 24.08.2010 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

